

वार्षिक सामान्य प्रशासन रिपोर्ट

2007-2008

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला – 171002

विषय सूची

क्र.स.	विषय	पृष्ठ
1.	परिचय	1
2.	प्रशासन प्रभाग	2
3.	योजना प्रारूपण प्रभाग	3
4.	योजना कार्यान्वयन प्रभाग	4-5
5.	पिछडा क्षेत्र उप-योजना	6-7
6.	क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	8-9
7.	जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग	10
8.	परियोजना रूपांकन प्रभाग	11
9.	नाबार्ड	12-13
10.	बीस-सूत्रीय कार्यक्रम	14
11.	रेलवे	15-16
12.	मूल्यांकन प्रभाग	17
13.	कम्पयूटर प्रभाग	18
14	सत्तना का अधिकार - २००५	19-24

परिचयः

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथिमकताओं का निर्धारित करना, योजनाओं के सकल परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है । दूसरी गतिविधियों में परियोजनाओं का मूल्यांकन, योजना कार्यान्वयन की मानिटरिंग तथा विभिन्न कार्य योजनाओं/परियोजनाओं के अध्ययन इत्यादि सिम्मिलित है ।

1. संगठनात्मक ढांचाः

योजना विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न स्तरों पर आधारित है:-

- 1. मुख्यालय ।
- 2. जिला कार्यालय ।
- 3. राज्य योजना बोर्ड ।

1. मुख्यालयः-

मुख्यालय पर सलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग नामतः योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन और पिछड़ा क्षेत्रा उप-योजना कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक, कार्यालयाध्यक्ष तथा उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । सरकारी नियमावली के अनुसार विभाग के सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित ढांचा कार्य कर रहा है :-

- माननीय मुख्य मंत्री ।
 (योजना मंत्री)
- 2. सचिव, (योजना) ।
- 3. सलाहकार (योजना) ।

2. जिला कार्यालय :-

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 गैर-जनजातीय जिलों में (दो जन-जातीय जिलों लाहौल-स्पित तथा किन्नौर को छोड़कर) क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं । ये कार्यालय सम्बन्धित उपायुक्त के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं तथा इन कार्यालयों में एक जिला योजना अधिकारी, एक साख योजना अधिकारी, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी, एक सांख्यिकीय सहायक, एक सहायक (शिमला, कांगडा तथा मण्डी के मामले में दो), एक आशुटंकक, एक लिपिक तथा एक चपड़ासी का स्टाफ प्रदान किया गया है ।

I. प्रशासन प्रभागः

योजना विभाग के मुख्यालय पर प्रशासन प्रभाग का कार्य विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक की देख-रेख में किया जा रहा है । इस प्रभाग में निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	1
2.	अधीक्षक	1
3.	वरिष्ठ सहायक	4
4.	कनिष्ठ सहायक	2
5.	लिपिक	2
6.	सन्देशवाहक	1
7.	चौकीदार	1
	कुल :-	12

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तथा स्थापना एवं वित्त लेखा से सम्बन्धित रोजमर्रा के routine कार्य करता है । योजना विभाग के स्टाफ का विवरण निम्नलिखित है :-

क. सं	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	2.	3.	4.	5.
1	उपाध्यक्ष	1	-	1
2	सलाहकार (योजना)	1	1	-
3	संयुक्त निदेशक	1	1	-
4	उपनिदेशक	5	5	-
5	अनुसंधान अधिकारी	20	14	6
6	प्रोगाम योजना अधिकारी	1	1	-
7	साख योजना अधिकारी	10	10	-
8	अधीक्षक	1	1	-
9	वरिष्ठ सहायक	20	20	-
10	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	17	14	3
11	निजि सहायक	2	-	2
12	निजि सचिव	1	-	1
13	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	13	4
14	सांख्यिकीय सहायक	23	16	7
15	गणक	6	6	-
16	कम्पयूटर औपरेटर	3	2	1

1.	2.	3.	4.	5.
17	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	-
18	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	-
19	आशुटंकक	12	4	8
20	वाहन चालक	3	3	-
21	सन्देशवाहक	19	19	-
22	चौकीदार	1	1	-
23	डी. एम. ओ.	1	1	-
24	जमादार	1	-	1
25	सफाई कर्मचारी	1	1	-
	कुल	174	140	34

रिपोर्ट के वर्ष में प्रशासनिक प्रभाग द्वारा समस्त कार्य निर्धारित समय पर सम्पन्न किए गए ।

II. योजना प्रारूपण प्रभाग :

योजना प्रारूपण प्रभाग द्वारा वर्ष 2007-2008 के दौरान किए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

1. राज्य की वर्ष 2008-2009 का ड्रॉफट योजना प्रारूप तैयार करना :

वार्षिक योजना २००८-२००९ का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करने हेतु सम्बन्धित सभी विभागों / एजैन्सियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत वार्षिक योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय प्रस्तावों की पड़ताल करने तथा विभिन्न एजैन्सियों से प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण करने के पश्चात वार्षिक योजना २००८-०९ का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करके योजना आयोग को माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग एवं माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के स्तर पर 13 फरवरी,2008 को हुई बैठक के लिए प्रस्तुत किया गया ।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना (२००८-०९) का आकार २४००.०० करोड़ रूपये अनुमोदित किया गया है जिसका शीर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :-

(रूपये लाखो में)

कुम	सैक्टर	वार्षिक योजना (२००७-२००८)
संख्या		का अनुमोदित आकार
1.	2.	3.
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	25197.34
2.	ग्रामीण विकास	11667.59
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1119.00
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	29615.27
5.	ऊर्जा	32824.00
6.	उद्योग एवं खनन	1943.28
7.	संचार एवं पीरवहन	37414.72
8.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2500.00
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	8825.67
10.	सामाजिक सेवाएं	81813.34
11.	सामान्य सेवाएं	7079.79
	कुल	240000.00

वर्ष (२००८-२००९) का योजना आकार अनुमोदित होने के पश्चात वार्षिक योजना बजट तैयार करने के लिए विकास शीर्ष-वार परिव्यय सभी विभागों को जारी किए गए । तत्पश्चात योजना परिव्ययों को बजट के साथ जोड़ने के लिए प्रभाग द्वारा विस्तृत कार्यवाही अमल में लाई गई तथा मांग/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लद्यु शीर्ष/उप-लद्यु शीर्षवार तैयार करके वर्ष (२००८-०९) के योजना प्रस्तावों को वित्त विभाग को प्रेषित किया गया ।

III. योजना कार्यान्वयन प्रभाग :-

योजना कार्यान्वयन प्रभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं -

योजना कार्यान्वयनः-

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त योजना बजट की कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्न प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई :-

- 1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की आवश्यकता, योजना में प्राथमिकता को समक्ष रखते हुए विचलन या पुनर्विनियोजन करता है ।
- 2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिस में व्यय की सम्भावनाएं कम हों या कोई परियोजना जिसे चालू वर्ष में चलने की सम्भावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुऐ उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है ।

- 3. आधिक्य के प्रस्तावों के सन्दर्भ में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं तथा तत्काल ऐसे प्रकरण निपटाए गए ।
- 4. विभागों से चिन्हांकित/गैर चिन्हांकित विकास शीर्षों में फेरबदल के प्रस्ताव मंगवाए गए और संशोधित योजना परिव्यय की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त की गई । इस वित्तीय वर्ष में योजना आयोग, भारत सरकार को राज्य की वार्षिक योजना 2007-08 के स्वीकृत योजना परिव्यय आकार 2100.00 करोड़ रूपये की तुलना में 2104.80 करोड़ रू० के संशोधित योजना आकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया ।
- 5. इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से 312 सन्दर्भ परामर्श हेतू प्राप्त हुए जिसके परीक्षणोपरान्त उचित अभिमत विभागों को प्रदान किए गए ।
- 6. बजट के अनुरुप योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण योजना को बजट के साथ कम्प्यूटर सॉफटवेयर के माध्यम से जोडा गया।
- 7. भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय द्वारा राज्य की वार्षिक योजना (२००७–०८) की रोकी गई केन्द्रीय सहायता धनराशि की निर्मुक्ति शीघ्र करवाने के लिए संशोधित योजना परिव्यय वित्त पोषण स्कीम सहित, ३१ दिसम्बर, २००७ तक योजना व्यय और वार्षिक योजना २००६–०७ के अन्तिम पुष्ट व्यय आंकड़े वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग, भारत सरकार को भेजे गए ।

त्रैमासिक आधार पर योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षाः

इस प्रभाग को वार्षिक योजना के विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत योजना व अन्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया है । वर्ष 2007-08 में योजना धनराश के व्यय के लिए निम्न मापदण्डों को निर्धारित किया गया :-

कम संख्या	तिमाही	व्यय प्रतिशतताः
1	प्रथम तिमाही	25
2	द्वितीय तिमाही	30
3	तृतीय तिमाही	25
4	चतुर्थ तिमाही	20
	कुल :	100

उपरोक्त निर्धारित व्यय मानकों के आधार पर राज्य की वार्षिक योजना 2007-08 की प्रथम तिमाही की समीक्षा हेतु दिनांक 26-09-2007 को चंडीगढ़ में डा० सैयदा हमीद, मा० सदस्या. योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया ।

2. त्रैमासिक बजट आबंटन :

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार वर्ष 1999–2000 से नई बजट आबंटन प्रणाली को आरम्भ किया गया है । वर्ष 2007–08 में इस प्रणाली के तहत सभी विभागों को तिमाहीवार प्राधिकृत योजना बजट भेजा गया तथा इसके आधार पर व्यय सूचना एकत्रित की गई ।

3. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं :

राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राज्य के संसाधनों को बढ़ाने में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान में शत-प्रतिशत एवं कुछ केन्द्रीय एवं राज्य भाग पर आधारित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

इस प्रभाग द्वारा वर्ष २००७-०८ के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्य किए गए :-

- 1. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकारी विभागों को इन स्कीमों के कार्यान्वयन एवं वित्तीय पोषण हेतू परामर्श दिए गए ।
- 2. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय कार्य जारी रखा गया ।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना :-

चौथी पंचवर्षीय योजना से ही हिमाचल प्रदेश सरकार क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उपयुक्त एवं कारगर वैकल्पिक नीति तैयार करने पर विचार कर रही थी । तत्कालीन स्थिति का ध्यान पूर्वक विशलेषण करने तथा अन्य विकेन्द्रीकरण प्रयासों के प्राप्त अनुभवों के आधार पर, प्रदेश सरकार द्वारा विकास में विद्यमान सूक्ष्म एवं क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए, पिछड़ा क्षेत्र उप योजना की परिकल्पना को विकसित किया गया । प्रदेश सरकार द्वारा 1995–96 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण के अनुरूप पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जोकि तब से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है । नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :-

- (क) पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में पिछडा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया :—
 - (i) पिछडे घोषित विकास खण्ड : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायते पिछडी घोषित हों, को पिछडे विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । वर्तमान में प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछडे घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछडी पंचायतें आती हैं ।
 - (ii) कंटीगुअस पंचायतें : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछडी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछडी पंचायतों के समूह घोषित किए गए । प्रदेश में कुल 15 पिछडी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछडी पंचायतें आती हैं ।

- (iii) **बिखरी पंचायतें** : जिन पिछडी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछडी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछडी पंचायतों का समह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित की गई । प्रदेश में कुल 114 बिखरी हुई पिछडी पंचायतें हैं ।
- (रज) चयनित १३ विकास शीर्षो के कुल परिव्यय का १५ प्रतिशत भाग पिछडा क्षेत्र उप योजना के लिए चिन्हांकित किया जाता है ।
- (ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।
- (घ) जिलों को पिछडा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत बजट आबंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछडी पंचायतों के अनुपात में किया जाता है ।
- (इ) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा सिमिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

प्रदेश में कुल 551 पंचायतें पिछडी घोषित की जा चुकी हैं । उप योजना के अलग बजट प्रबन्धन के लिए नई मांग संख्या-15 योजना एवं पिछडा क्षेत्र उप योजना सरकार द्वारा सृजित की गई है । वर्ष 2007-08 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत रू० 5109.80 का बजट प्राबधान रखा गया है । पिछड़ा क्षेत्र उप योजना एक गतिशील प्रक्रिया है तथा सुधार के लिए हमेशा उदार है । उप योजना में काफी लचीलापन है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों की स्थानीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान दिया जाता है । वर्ष 2008-09 के दौरान भी पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत रूपये 5129.25 लाख का परिव्यय उपलब्ध होगा ।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2007-08 के पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

कम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	र्ष 2007-08 के लिये बजट परिव्यय (रू० हजार में)
1	2	3	4
1	बिलासपुर	15	13911
2	चम्बा	159	147452
3	हमीरपुर	13	12055
4	काँगड़ा	17	15765
5	कुल्लू	79	73262
6	मण्डी	149	138178
7	शिमला	83	76972
8	सिरमौर	26	24111
9	सोलन	7	6492
10	ऊना	3	2782
	योग	551	5110980

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभागः-

राज्य स्तर से विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का संचालन तथा मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्रभाग की स्थापना की गई है । विभिन्न विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रमों के संदर्भ में किए गए किया-कलापों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

स्थानीय स्तर पर विकास प्रिक्या में अधारभूत ढांचे की प्रतिपूर्ति तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने व सरकारी प्रयत्नों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में विकास में जन सहयोग कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है तथा नकद सामुदायिक भागीदारी को सम्बन्धित उपायुक्तों के नाम से बैंक/डाकघरों में खोले गए खातों में जमा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.00 लाख रूपए कार्य लागत तक की कार्य योजनाओं को उपायुक्तों द्वारा, 20.00 लाख रूपए तक की कार्य योजनाओं को योजना निदेशालय, 40 लाख रूपए तक सचिव योजना तथा 40.00 लाख रूपए से अधिक की योजनाओं को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत करने की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान केवल 1 स्कीम के लिए सरकारी अंशदान धनराशि 14.18 लाख रूपए (1-4-2007 से 29-2-2008 तक) की स्वीकृति मुख्यालय से प्रदान की गई तथा इसके अलावा 1.4.2007 से 29.2.2008 तक 1578.90 लाख रूपए की धनराशि उपायुक्तों को उनके स्तर पर कार्य स्वीकृतियां (किन्नौर और लाहौल-स्पित जिलों को छोड़कर) जारी करने के लिए भी प्रदान की गई।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास करवाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। वर्ष 2007-08 में 3200.00 लाख रूपए की धनराशि दिनांक 29फरवरी,2008 तक उपायुक्तों को उनके स्तर पर कार्य स्वीकृतियां (किन्नौर और लाहौल स्पित को छोड़कर) जारी करने के लिए प्रदान की गई हैं ।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनाः

विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ किया गया था लेकिन वर्ष 2001-02 में इस स्कीम को समाप्त कर दिया गया था । वर्ष 2003-04 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है तथा 24.00 लाख रू० की धनराशि प्रत्येक विधायक को उनके अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवाने हेतु आबंटित की गई थी। माननीय विधायकों द्वारा इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के परिणामस्वरूप इस का कार्यान्वयन एवं समीक्षा अधिक प्रभावी एवं व्यापक हुई है। इस योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी क्षेत्रों का राजनैतिक सम्बन्द्धता का विचार

किए बिना सन्तुलित विकास हुआ है तथा सभी विधायक एक समान व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2007-08 में इस योजना के अन्तर्गत 1630.10 लाख रू० की धनराशि गैर जन-जातीय जिलों को विभागीय कार्यों के कार्यान्वयन हेतु मु० 25.00 लाख रू० प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई है।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभागः-

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :-

1. जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करना :-

इस पुस्तिका की सांख्यिकीय तालिकाओं में जनसंख्या,श्रम शिक्त, रोजगार, बेरोजगारी, प्रिशिक्षण संस्थान जिनका सीधा सम्बन्ध प्रिशिक्षण तथा रोजगार से हैं, सम्बन्धित सूचना का संकलन किया जाता है । अगली तथ्य पुस्तिका वर्ष 2000-01 से 2005-2006 को अन्तिम रूप देने के लिए सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्रित कर संकलित की जा रही है । इस पुस्तिका को प्रकाशित करने का कार्य निरन्तर प्रकृति का है जिसके लिये अनुवर्ती कार्रवाई एवं पुनरीक्षण आवश्यक है । इस तथ्य पुस्तिका के तीन भाग हैं । भाग एक में जनसंख्या के लक्षणों की विस्तृत जानकारी तथा इसकी प्रिक्षपत वार्षिक वृद्धि और राज्य में श्रम शिक्त की रचना । भाग दो में निजि एवं सार्वजिनक क्षेत्रों में रोजगार से सम्बन्धित सांख्यकीय तालिकायें तथा रोजगार कार्यालयों में चालू रिजस्टर में प्रार्थियों की संख्या तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता दर्शाई जाती है । भाग तीन में राज्य में उपलब्ध शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं बारे जानकारी दी जाती हैं जैसे कि राज्य में संस्थानों की संख्या, अध्यापक, नामांकन, अन्तर्ग्रहण (Intake) तथा बाहयार्पण (Outturn) ।

2. ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकडों के आधार पर रिपोर्ट :-

ई.एम.आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों पर तिमाहीवार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 1988 से आरम्भ किया गया है । संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 की तिमाहीवार सूचना को एकत्रित करने तथा संकलन करने का कार्य किया जा चुका है तथा इस पुस्तिका को प्रकाश्ति किया जा चुका है । वर्ष 2007-08 के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

3. राज्य सरकार की रोजगार योजना :-

राज्य सरकार की रोजगार योजना के लिये अनुश्रवण एवं समीक्षा नीति :

राज्य सरकार में रोजगार योजना बजट दस्तावेज का एक उप-उत्पादन (by-product) है । योजना विभाग रोजगार सृजन से सम्बन्धित सूचना मासिक आधार पर समस्त सम्बन्धित विभागों से एकत्रित करता है । राज्य सरकार ने रोजगार योजना के अन्तर्गत ित्रमुखी रोजगार नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत (1) सरकारी क्षेत्र में रोजगार (2)संगठित तथा स्वरोजगार क्षेत्र में रोजगार और (3) मजदूरी घटक रोजगार सृजन के उल्लेख को राज्य सरकार की रोजगार नीति माना गया है । रोजगार सृजन की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिये मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सचिवों की समिति का गठन किया गया है तथा रोजगार सृजन से

सम्बन्धित समीक्षा बैठक योजना विभाग का एक नियमित लक्षण बन गया है । विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियाँ प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

VII. परियोजना रूपांकन प्रभाग :-

प्रशासनिक उपयुक्तता लाने के लिए योजना विभाग के परियोजना रूपांकण प्रभाग को परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है । जिसके लिए अनुशासित एंव तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना पडता हैं । योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वितीय प्रबन्ध के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एंव वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एंव अनुश्रवण करता हैं । यह प्रााग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु सीधे पत्राचार करता हैं । इस प्रभाग द्धारा जो कार्य किए जाते हैं उनका विवरण निम्न है:-

- 1. राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का वर्षवार निर्धारित वितीय एंव भौतिक लक्ष्यों की परिदृष्टि में त्रैमासिक समीक्षा करना है ।
- केन्द्र से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अद्यतन लेखा रखा जाता है तथा व्यय के विरुद्ध दायर प्रतिपूर्ति दावों को आर्थिक कार्य विभाग, वित मन्त्रालय, भारत सरकार से निमुर्क्त करवाने के लिए एक कड़ी का कार्य करता है ।
- 3. विभिन्न विभागों को परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने के सन्दर्भ में परामर्श देता है ।

परियोजना प्रभाग को दिये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्न है:-

1. बाह्य सहायता के सन्दर्भ में प्रस्ताव :-

इस प्रभाग ने निम्नलिखित अर्न्तराष्ट्रीय वितीय संस्थानों से नई परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने हेतू समन्वय कार्य भी किया है :-

- 1. जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोपरेशन (जापान) ।
- 2. जर्मन संघीय गणतन्त्रा एफ.आर.जी. व के.एफ.डब्लयू. ।
- 3. विश्व बैंक ।
- 4. जापान अर्न्तराष्टीय सहायता एजैंसी (जीका) ।
- 5. डी.एफ..आई.डी
- 6. एशियन विकास बैंक ।

उपरोक्त संस्थानों से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को परियोजना प्रस्ताव आमिन्त्रित करने के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया तथा उनसे यह आग्रह किया गया कि वे राज्य की प्राथमिकताओं, को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव बनाएं । योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त इन परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वितीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण किया गया तथा अनुमोदनोपरान्त सभी सम्बन्धित विभागों को लौटाया गया तथा उन्हें इन परियोजना प्रस्तावों को अपने सम्बन्धित मन्त्रालय के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सम्बन्धित वित्त प्राधिकरणों के साथ वित्तीय सहयोग के लिए उठाने की सलाह दी गई ।

भारत सरकार ने 01.04.2005 से विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध back to back basis की बजाय <u>अनुदान/ऋ</u>ण 90:10 के अनुपात से जारी करने का निर्णय लिया है ।

VIII. नावार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि-आर.आई.डी.एफ

वर्ष 1995-96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित मंत्री में ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू,-संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कें, मार्किट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा । आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ-1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था । इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ - II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII तथा XIII के अन्तर्गत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत बढ़ा दिया गया ।

राज्य सरकार नावार्ड से आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है । कुछ एक मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए प्रदेश सरकार ने नावार्ड से परियोजनाऐं अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी है, का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :-

- 1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण ।
- 2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
- 3. बाढ़ नियंत्रण कार्यो का निर्माण ।
- 4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।
- 5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण ''सरस्वती वाल विद्या संकल्प परियोजना''
- 6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।
- 7. ई.-अभिशासन (E-Governance) ।
- वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।
- 9. जलप्रवाह विकास योजना
- १०. पशु स्वास्थय के लिए अधोसंखना का सुदृढीकरण ।

नावार्ड द्वारा दिनांक 28-02-08 तक, प्रदेश सरकार को 1712.06 करोड़ रू० की राशि की विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है। जिसका कार्यक्रमवार विवरण निम्नलिखित है:-

तालिका - । (रू० करोड़ में)

कार्यक्रम विवरण	वार्यकम की अवधि	परियोजनाओं	नाबार्ड ऋण	राज्य	कुल
		की संख्या	स्रहायवा	स्रस्कार अंश	
आर.आई.डी.एफ-।	1995-96 to 97-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ्-।।	1996-97 to 98-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ्-।।।	1997-98 to 99-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ-१ ७	1998-99 to 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ-V	1999-2000 to 01-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ-४।	2000-01 to 02-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ-४॥	2001-02 to 03-04	326	168.37	8.91	177.28
आर.आई.डी.एफ-४॥।	2002-03 to 04-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ-1x	2003-04 to 05-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ- x	2004-05 to 06-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ- xī	2005-06 to 07-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ- х11	2006-07 to 08-09	384	273.87	36.48	310.35
आर.आई.डी.एफ- хाग	2007-08 to 10-11	269	198.84	29.11	227.95
	Total	3780	1712.06	184.11	1896.17

दिनांक 28.2.2008 तक उपरोक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने 1175.43 करोड़ रूपये की ऋण राशि नावार्ड से प्राप्त कर ली है जिसका विवरण निम्न तालिका में है :-

तालिका - 2

(रू० करोड़ में)

					(का० कराइं ब
	स्वीकृत		प्राप्त की गई राशि	[
वार्यक्रम	ऋण राशि	1995-96	2007-08	कुल	प्रतिशातवा
		स्ते	(28-2-2008		
		2006-07	तक)		
आर.आई.डी.एफ-।	14.23	14.23	0.00	14.23	100
आर.आई.डी.एफ-॥	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
आर.आई.डी.एफ-॥।	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
आर.आई.डी.एफ-IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
आर.आई.डी.एफ-V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
आर.आई.डी.एफ-ए।	127.20	127.59	0.29	127.88	100.53*
आर.आई.डी.एफ-४॥	168.37	172.36	2.43	174.79	103.81*
आर.आई.डी.एफ-४॥।	169.29	144.09	6.63	150.72	89.03
आर.आई.डी.एफ-IX	141.70	87.55	13.59	101.14	71.38
आर.आई.डी.एफ - X	91.64	55.02	11.06	66.08	72.10
आर.आई.डी.एफ -X I	224.67	64.55	46.36	110.91	49.37
आर.आई.डी.एफ -X II	273.87	39.89	78.59	118.48	43.26
आर.आई.डी.	198.84	0.00	21.70	21.70	1.91
एफ-XIII					
कुल	1712.06	994.78	180.65	1175.43	68.66

^{*} वितरित ऋण राशि, स्वीकृत ऋण से इसलिए अधिक है क्योंकि पूर्व में जारी अग्रिम को भविष्य में आहरण की गई राशि में समायोजित नहीं किया गया है ।

प्रदेश सरकार ने इस कार्य्रकम के अन्तर्गत परियोजनाओं एवं स्कीमों को चुनने, अनुमोदन तथा समीक्षा किये जाने हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

IX. 20-सूत्रीय कार्यक्रम :-

नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष २००७-०८ में बीस सूत्रीय कार्यक्रम-२००६ कार्यान्वयन के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों में प्रदेश के निर्धन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी सुविधारों प्रदान की हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 मदें चिन्हित की गई हैं, जिनके आधार पर उपलब्धि की समीक्षा की तुलना देशभर के अन्य राज्यों के साथ की जाती है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वर्ष 2007-08 में इस राज्य का स्तर देशभर के अन्य रायों के साथ उत्कृष्ठ / उतम रहा है तथा उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अधिकतर मदें 'ए' श्रेणी में रही हैं । कार्यान्वयन की स्थिति उत्कृष्ट श्रेणी में लाने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को हिदायतें जारी की गई हैं । बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन मदों पर हमारे राज्य की स्थिति उत्कृष्ट रही हैं उनमें मुख्यतर सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी - एसजीएसवाई, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, राज्यों / सघं शासित प्रदेशों की खरीद -टीपीडीएस, राज्यों / सघं शासित प्रदेशों की खरीद – एएवाई, शामिल बसावटें (एनसी एंव पीसी)-एआरडब्लयूएसपी, बच्चों का नेमी टीकाकरण, चालू आईसीडीएस ब्लॉक (संचयी), कियाशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन सड़क-पीएमजीएसवाई, पम्प सैटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली । राज्य का स्थान वर्ष 2006-07 में देश के उन राज्यों में है जिनका कार्य इस दिशा में उत्कृष्ट रहा है तथा इस प्रकार राज्य अच्छी परफॉरमैंस (उपलब्धि) परम्परा को बनाये हुए हैं ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य जिस प्रकार वर्ष 2006-07 में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट स्थिति में रहा है उसी प्रकार वर्तमान वर्ष 2007-08 में भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने व उपलिब्धयों को बनाये रखने में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ।

x. रेलवे प्रभाग :-

हिमाचल प्रदेश सरकार विभिन्न स्तरों पर मुख्यतः तीन ब्रॉडगेज़ रेलवे लाईनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों को उठा रही है । इस सम्बन्ध में वर्ष २००७-०८ के दौरान किए गए कार्य निम्न हैं :-

1. भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी-ब्रॉडगेज़ रेलवे लाईन

माननीय प्रधान मन्त्री ने वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश दौरे के दौरान भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी-ब्रॉडगेज़ रेलवे लाईन को राष्ट्रीय रेलवे परियोजना में शामिल करने की घोषणा की थी । इस परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए प्रधान मन्त्री के दिल्ली स्थित कार्यालय में तीन बैठकों का आयोजन किया गया । अन्तिम बैठक दिनांक 8 अगस्त, 2007 को आयोजित की गई जिसमें हिमाचल प्रदेश की और से मुख्य सचिव और सचिव (वित्त एवं योजना) ने

भाग लिया । इस बैठक में सदस्य अभियन्त्रिकी, रेलवे बोर्ड भी शामिल थे । इस बैठक में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया । इस परियोजना की अनुमानित लागत रू० 1047.00 करोड़ आंकी है । रेलवे और राज्य सरकार में भागीदारी 75:25 का निर्णय लिया है ।हिमाचल प्रदेश सरकार परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (रू० 261.75 करोड़) वहन करेगी । शेष लागत राशि का प्रबन्ध रेलवे मन्त्रालय वहन करेगा । लागत में वृद्धि का वहन रेलवे मन्त्रालय द्वारा किया जायेगा । हिमाचल प्रदेश के मन्त्रीमण्डल ने अपनी बैठक 13 सितम्बर,2007 में राज्य की भागीदारी की मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश सरकार की भागीदारी के निर्णय की पुष्टि रेलवे मन्त्रालय को कर दी है । केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल ने माह अक्तुबर / नवम्बर, 2007 में अपनी बैठकों में इस परियोजना की मन्जूरी प्रदान करनी थी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। माननीय प्रधान मन्त्री से आग्रह किया गया है कि वह रेलवे मन्त्रालय को रेलवे बजट में उपयुक्त बजट प्रावधान करने और इस कार्य को जल्दी शुरू करने के दिशा निर्देश जारी करें तािक यह रेलवे लाईन 11वीं पंचवर्षीय योजना की अविध में निर्मित हो जाये।

2. नंगल-तलवाड़ा-ब्रॉडगेज़ रेलवे लाईन

रेलवे बजट 2007-08 में इस लाईन के लिए रू० 24.08 करोड़ का प्रावधान था । चूरूडू टकारला-अम्ब अन्दौरा सैक्शन में भू-अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है । इस रेलवे लाईन के निर्माण के लिए चूरूडू टकारला-अम्ब अन्दौरा सैक्शन पर कार्य भू-अधिग्रहण के बाद आरम्भ किया जायेगा । सभी गावों के लिए आबार्ड घोषित किए जा चुके हैं । अम्ब अन्दौरा से करथौली (पंजाब) सैक्शन की लम्बाई लगभग 30 कि0मी० है । इस सैक्शन में 12 गांव आते हैं । इस सैक्शन के एल-सैक्शन मानचित्र के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है । इस सैक्शन में भू-अधिग्रहण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा ।

3. चण्डीगढ़-बद्दी ब्रॉडगेज़ रेलवे लाईन

इस रेलवे लाईन का पूर्व सम्भाव्य सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 33 कि0मी0 नई ब्रॉडगेज़ लाईन की अनुमानित लागत रू० 328.14 करोड़ ऑकी है । रेलवे मन्त्रालय ने रेलवे बजट 2007-08 में इस रेलवे लाईन के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया है । राज्य सरकार रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार से रेलवे बजट में इस रेलवे लाईन के निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया है ।

4. हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से सम्बन्धित विविध कार्य ।

XI. मूल्यांकन प्रभाग :-

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है । मूल्यांकन का उददेश्य परियोजनाओं / योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाना है । विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के मूल्यांकन प्रस्तावों के चयन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है । वर्ष २००४-२००५ में निम्न चार विषयों पर मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा था :-

- 1. सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना
- 2. गांधी कुटीर योजना
- वृद्घावस्था व विधवा पैंशन
- 4. विकास में जन सहयोग

वृद्धावस्था व विधवा पैंशन योजना के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य अर्थ एवं सांख्यकीय विभाग को सौंपा गया था जोकि पूरा किया जा चुका है तथा इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है । इसके अतिरिक्त डा० वाई.एस. परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन को निम्न अध्ययन सौंपे गये हैं :-

- 1. सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना
- 2. गांधी कुटीर योजना

इन मूल्यांकन अध्ययनों का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी ।

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विकास में जन सहयोग योजना का मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया जा चुका है तथा रिपोर्ट जारी कर दी गई है ।

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रम तथा मत्स्य पालन हेतु सामुदायिक तालाबों के मूल्यांकन का अध्ययन कार्य भी आरम्भ किया गया था । मत्स्य पालन हेतु सामुदायिक तालाबों का मूल्यांकन अध्ययन पूरा करके रिपोर्ट तैयार कर दी गई है । विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रम का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त जल प्रवाह विकास कार्यक्रम तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में पंजीकृत व्यक्तियों की वर्तमान वास्तविक स्थित ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण का अध्ययन कार्य भी प्रगति पर है ।

XII. कम्पयूटर प्रभाग_:-

कम्पयूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्पयूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्ट पहले कम्पयूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुदण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की साफटवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न साफटवेयर को विकसित किया है :-

- 1. दसवीं पंचवर्षिय योजना (२००७-२०१२) तथा वार्षिक योजना (२००७-२००८) की जी०एन० स्टेटमैटस पर सौफ टवेयर ।
- 2. हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सबसिडीज स्कीमों के संकलन का कार्य ।

- 3. वार्षिक योजना (२००७-२००८) व वार्षिक योजना (२००८-२००५) के प्रबोधन कार्य का पैकएज ।
- 4. योजना विभाग के कर्मचारियों के पे-रोल तथा मासिक पे-रोल की अनुसूचियों व अतिरिक्त मंहगाइ भत्ते का पैकएज तैयार किया गया ।
- 5. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एंव एस०ओ०ई० वार आंबटन का पैकएज तैयार किया गया ।
- 6. विभिन्न योजना कार्य्रकमों / स्कीमों के मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टस का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
- 7. आयकर विवरणिकाओं का सौफ टवेयर तैयार किया गया ।
- 8. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
- 9. वर्ष 2007-08 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार किया गया ।
- 10. नौराड परियोजनाओं की बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यवाही का कम्पयूटरीकरण किया गया।
- 11. बाह्य सहायतार्पाप्त परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए Internet surfing का कार्य किया गया ।
- 12. Fact Book on Manpower and Quick Estimates अध्ययनों की रिपोर्टस का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
- 13. विभाग की Web site तैयार करना तथा उस की maintenance/updation.

XIII. सूचना का अधिकार नियम 2005 उप-नियम 4 (1) (बी)के अन्तर्गत

(i)	संख्या:1	कृपया क्र0सं० 1 पर विभाग के परिचय एवं संगठनात्मक ढांचे का
		अवलोकन करें
(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं डियूटी १	सलाहकार (योजना) विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण 1 संयुक्त निदेशक (योजना) संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) को विभिन्न योजना स्कीमों जैसे कि वाहय सहायता परियोजनाएं, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, ग्रामीण आधारभूत संरचना इत्यादि के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग देना। उप-निदेशक (योजना) विभाग के सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना रूपाकन, योजना कार्यान्वयन, परियोजना रूपांकन, नौराड़ मूल्यांकन एवं रोजगार कम्पयूटरीकरण, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के नियन्त्रक हैं तथा विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निवारण हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं 1 अनुसंधान अधिकारी विभागों के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की

सहायता करते हैं 1सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती है ।

सहायक अनुसंधान अधिकारी

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावें एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।

सांख्यिकीय सहायक

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावें एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।

गणक

विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं 1

कार्यक्रम योजना अधिकारी

कार्यक्रम योजना अधिकारी कम्पयूटर कक्ष के प्रभारी हैं 1 यह कक्ष योजना विभाग में जहां पर कम्पयूटर पर कार्य की आवश्यकता पड़ती है उन्हें करने के लिए बनाया गया है 1

गणक संचालक

यह कर्मचारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के कम्पयूटर से सम्बन्धित कार्यों जैसे कि डाटा फीड इत्यादि में कार्यक्रम योजना अधिकारी की सहायता करते हैं 1

अधीक्षक ग्रेड-11

अधीक्षक वर्ग-11 योजना विभाग के प्रशासन कक्ष में प्रशासनिक कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कार्यरत है। प्रशासन प्रभाग के सभी सम्बन्धित सहायक अपनी निस्तयां अधीक्षक वर्ग-11के माध्यम से , आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं उप-निदेशक (प्रशासन) कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से अपनी निस्तयां विभागाध्यक्ष को अन्तिम निर्णय के लिए प्रशासनिक मामले प्रस्तुत करते हैं 1

वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक

विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को उच्च अधिकारियों के स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं 1

लिपिक

यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग-11 द्वारा सौंपे गए डायरी डिस्पैच एवं अन्य कार्य का निष्पादन करते हैं 1

निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक

यह कर्मचारी विभागाध्यक्ष,संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं 1 तथा विभाग की गोपनीय किस्म की निस्तयों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं 1

	1	
		आशुटंकक
		योजना विभाग के मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों एवं जिला योजना कक्षों
		में टंकण कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यरत हैं 1
		प्रतिलिपि यन्त्र चालक
		विभाग के प्रतिलिपि यन्त्र एवं फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं 1
		चपड़ासी
		विभाग की डाक, निस्तयों को लाना व ले जाना तथा टेवल इत्यादि की
		सफाई का कार्य करते हैं 1 चौकीदार
		विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त
		निगरानी/देखरेख रखता है 1
		सफाई कर्मचारी
		विभाग के कमरों,वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनों की सफाई हेतु
		नियुक्त हैं 1
(iii)	प्रतिवद्धता एवं	मुख्यालय स्तर पर सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष की शक्तियों का
	परिवेक्षण हेतु	उपयोग करते हैं तथा विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को
	निर्णायत्मक	निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेत् विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं 1
	प्रक्रिया के लिए	विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते है। विभाग
	अपनाई गई	की नस्तियां प्रभागध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार
	विधि एवं माध्यम	
<i>(</i> •)		(योजना) को प्रस्तुत की जाती है 1
(iv)	कार्य निष्पादन	विभाग के भिन्न-२ कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-२ पर
	हेतु निश्चित	निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते
	मापदण्ड	हैं 1
(v)	नियम,विनियम,	नियमों विनियमों, निर्देशों नियमावली जोकि विभाग के पास है उनका
	निर्देश,	संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं:-
	नियमावली एवं	1. सी.सी.एस. लीव रूलज,1972
	अभिलेख जो	2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.एस रूलज
	विभाग में हैं	3. एच.पी.एफ.आर रूलज
	अथवा इनके	४. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज
	नियन्त्रण या	5. मैडिकल एटैन्डैंस सुविधा नियम
	इसके कर्मचारियों	6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज
	द्वारा कार्यों के	7. यात्रा अवकाश रूलज
	निष्पादन हेतु	8. बजट मैनुअल
	प्रयोग किए जा	9. आफिस मैनुअल
	रहे हैं 1	१०. पैंशन नियम
		११. सामान्य भविष्य निधि नियम
		१२. विकेन्द्रकृत नियोजन दिशा निर्देश
		13. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम दिशा निर्देश
		14. क्षेत्रीय विकास निधि योजना दिशा निर्देश
		15. मुख्यमन्त्री गाम पथ योजना दिशा निर्देश
		१६. सांसद निधि योजना दिशा निर्देश
		। ७. चात्तप । जाव वाजना । प्रता । जप्ता

		0)) 0 0 %
		17. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना दिशा-निर्देश
		१८. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना दिशा निर्देश
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	१९. ग्रामीण संरचना विकास निधि दिशा निर्देश
(vi)	दस्तावेजों का	पंच वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यकर्मों का
	विवरण जोकि	मुल्यांकन अध्ययन,जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच वर्षीय
	विभाग में हैं या	योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायकों की प्राथमिकताओं की स्कीमें तथा
	इसके नियन्त्रण में	विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 1
(-••)	हों 1 किसी निति को	
(vii)	ाकसा ।नात का बनाने या	हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन विभाग में होता है तथा इसमें
	कार्यान्वित करने	सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाता है 1 इस बोर्ड की
	हेतु लोक सदस्यों	बैठकों में वार्षिक योजनाएं एवं पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन होता है
	के साथ	तथा अनुमोदन उपरान्त इनकी प्रगति एवं कार्यान्वयन के सम्बन्ध में
	विचार-विमर्श के	समीक्षा भी की जाती है 1
	सम्बन्ध में कोई	
	विवरण हो तो 1	
(viii)	बोर्ड, कौंसिल,	विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:-
	कमेटियां एवं	1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड 1
	अन्य	2. राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय योजना विकास एवं २०-सूत्रीय
	निकाय/सभाओं	कार्यक्रम की समीक्षा समितियां ।
	का गठन जिसमें	
	दो या दो से	इन बोर्डो/कमेटियों की बैठकें आम लोगेंा के लिए खुली नहीं होती
	अधिक व्यक्ति	हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही लोग ले सकते
	परामर्श हेतु	養 1
	शामिल हों तथा	
	इनकी बैठकें	
	लोगों के लिए	
	खुली हों या	
	बैठकों की	
	कार्यवाही लोगों	
	की पहुंच में हो।	
(ix)	विभाग के	1. सलाहकार (योजना)
(अधिकारियों एवं	2. संयुक्त निदेशक(योजना)
	कर्मचारियों की	9
	निर्देशिका १	3. उपनिदेशक(योजना)
		4. अनुसंधान अधिकारी
		5. सहायक अनुसंधान अधिकारी
		6. सांख्यिकीय सहायक व
		7. गणक 8. कार्यक्रम योजना अधिकारी
		10. अधीक्षक वर्ग-11
		११. वरिष्ठ सहायक
		१२. कनिष्ठ सहायक

		2.0		
		1 3 . लिपिक		
		14. निजि सहायक 15. निजि सचिव		
		1 5. निजि सचिव 1 6. वरिष्ठ आशुलिपिक		
		१७. वास्ळ आशुलिपक		
		१ १. आशुलिपिक		
		१९. प्रतिलिपि यन्त्र चालक		
		20. चपड़ासी		
		२ 1.		
		22. सफाई कर्मचारी		
(x)	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली 1	अधिकारियों व कर्मचारियों को परिश्रमिक दिया		
	l	1. सलाहकार (योजना)	14300-20100	
		2. संयुक्त निदेशक(योजना)	12000-15500	
		3. उपनिदेशक(योजना)	10025-15100	
		4. अनुसंधान अधिकारी	7880-11660	
		5. सहायक अनुसंधान अधिकारी	6400-10640	
		6. सांख्यिकीय सहायक	5800-9200	
		७. अनुभाग अधिकारी (एस०ए०एस)	7220-11660	
8. निजि		८. निर्जि सचिव	7220-11660	
		9. निजि सहायक	6400-10640	
		10. अधीक्षक-11	6400-10640	
		११ वरिष्ठ सहायक	5800-9200	
		12. गणक	3120-5160	
		13. कनिष्ठ सहायक	4400-7000	
		१४. लिपिक	3120-5160	
		15. कार्यक्रम योजना अधिकारी	6400-10640	
		१६ गणक संचालक	5000-8100	
		17. वरिष्ठ आशुलिपिक	5800-9200	
		1 8. कनिष्ठ आशुलिपिक	4400-7000	
		१९. आशुटंकक	3330-6200	
		२०. प्रतिलिपि यन्त्र चालक	2820-4260	
		21. चपड़ासी	2520-4140	
		22. चौकीदार	2520-4140	
		23 सफाई कर्मचारी	2520-4140	

(xi)	प्रत्येक एजैंन्सी	वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एजैन्सी को त्रैमासिक /किस्तों
(AI)	का बजट आबंटन	के आधार पर बजट आबंटन किया जाता है 1 निम्नलिखित योजनाओं के
	जिसमें सभी	कार्यन्वयन हेतु बजट जारी किया जाता है:-
	योजनओं का	1. विकास में जन सहयोग
	विवरण तथा व्यय	2. विकेन्द्रीकृत नियोजन
	प्रस्ताव एवं	3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना
	आहरण की	4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना
	रिपार्ट जो वनती	5. राष्ट्रीय सम विकास योजना
	है 1	७. टाञ्चान टान प्रकास नागना
		हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों एवं फारमुला के
		अनुरुप निधियों का आबंटन योजना विभाग करता है 1
		- 13c/ 1-114 41 41 611464 416141 42611 6 7
(xii)	उपदान कार्यक्रमों	विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं
()	के निष्पादन का	किया जता है 1
	तरीका जिसमें	
	लाभभोगियों का	
	विवरण धनराशि	
	सहित १	
(xiii)	रियायतों के	लागू नहीं
	पात्रों का विवरण	
(xiv)	इलैक्ट्रानिक्स	विभाग की वैवसाईट वनाई गई है। तथा विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित
	तरीके से सूचना	सूचना इस वैवसाईट http// hpplanning.nic.in. में उपलब्ध हैं 1
	उपलव्धता बारे	
(xv)	लोगों/नागरिकों	विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई सूचना विभाग के
	की सुविधा के	कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक केवल रविवार एवं
	लिए सूचना प्राप्त	राजपत्रित अवकाश को छोकर प्राप्त की जा सकती है 1
	करने हेतु	
	लाईव्रेरी या	
	वाचनालय्का	
	प्रावधान हो तो	
	उसका विवरण	
	जिसमें समय का	
	विवरण भी हो 1	
(xvi)	लोक सूचना	सूचना निम्न प्रकार से है।
	अधिकारियों के	
	नाम पर एवं	
	विवरण १	
(xvii)	एैसी अन्य कोई	शूल्य
	सूचना हो तथा	
	हर वर्ष अपडेट	
	की जानी हो १	

लोक सूचना अधिकारियों के पद सहित विवरण योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश. शिमला

सचिवालय स्तर पर

(ক)	सहायक जन सूचना अधिकारी	अवर सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
(য়)	जन सूचना अधिकारी	अतिरिक्त सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
(ग)	अपील प्राधिकारी	सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
(ঘ)	नोडल अधिकारी	अतिरिक्त सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला

अधिसूचना संख्याः योजना-ए(3)4/2005 दिनांक 3-7-2006 सूचना का अधिकार, 2005 (ऐक्ट संख्या 22 आफ 2005) के उप-घारा 5(1) तथा 19 के अर्ज्तगत ।

राज्य स्तर पर

(ক)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	जन सूचना अधिकारी
(ख)	उप-निदेशक निदेशक (योजना)	सहायक जन सूचना अधिकारी
(গ)	विभागाध्यक्ष	अपील प्राधिकारी

जिला स्तर पर

(क) समस्त जिला योजना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी
------------------------------	------------------

सूचना के अधिकार.२००५ के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री प्रभारी मन्त्री, सचिव (योजना) प्रशासनिक सचिव तथा सलाहकार (योजना)संगठन के विभागाध्यक्ष सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं ।



Annual General Administration Report

2007-2008

Planning Department,
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171 002

INDEX

Sr.No.	Subject	Page	
1.	Introduction	1	
2.	Administration Division	2	
3. 4.	Plan Formulation Division Plan Implementation Division	3 4-5	
5.	Backward Area Sub-Plan Division	6	
6.	Regional and District Planning Division	7	
7.	Manpower and Employment Division	8	
8.	Project Formulation Division	9	
9.	NABARD-RIDF	10-1	1
10.	20 Point Programme	12	
11.	Railway	13	
12.	Evaluation Division	14	
13.	Computerisation	15	
14.	Right to Information Act2005	16-2	21

INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes etc. The other activities consist of Project Formulation & Appraisal, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes Man Power Planning and implementation of Backward Area Sub-Plan.

Organisational Structure

The organisational structure of Planning Department consists of following three tiers:

- 1. Headquarters.
- 2. District Offices.
- 3. State Planning Board.

1. Headquarters

At the Headquarters, Adviser(Planning), H.P. Government is the Head of the Department. Under him various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerisation, Evaluation, Manpower and Employment, Administration, Regional & District Planning and Backward Area Sub-Plan are functioning.

These divisions are headed by Joint Director, Head of Office and the Deputy Directors. According to rule of business, following is structure for the transaction of official business:-

- 1. Hon'ble Chief Minister (Planning Minister)
- 2. Secretary (Planning)
- 3. Adviser (Planning).

2. District Offices

Under the decentralised planning process field Offices have been opened in all ten non-tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners and have been provided with a staff set-up of one District Planning Officer, one Credit Planning Officer, one Assistant Research Officer, One Statistical Assistant, one Assistant (two in the case of Shimla, Kangra and Mandi), one Stenotypist, one Clerk and a Peon.

I. ADMINISTRATION DIVISION :-

The Joint Director has been declared as the Head of Office. Under him the Divison is headed by a Deputy Director. In this division the following staff has been provided:-

Total	12
(g) Chowkidar	- 1
(f) Peon	- 1
(e) Clerk	- 2
(d) Junior Assistant	- 2
(c) Senior Assistant	- 4
(b) Superintendent	- 1
(a) Drawing and Disbursing Officer	- 1

This division plays routine role to run this organisation. The staff position of this department is given below :-

STAFF POSITION OF THE PLANNING DEPARTMENT

S.No.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
	2		4	_
1.	2.	3.	4.	5.
1	Dy. Chairman	1	- 1	1
2	Adviser (Plg.)	1	1	-
3	Joint Director	1	1	-
4	Deputy Director	5	5	-
5	Research Officer	20	14	6
6	Programme Plg. Officer	1	1	-
7	Credit Planning Officer	10	10	-
8	Superintendent	1	1	-
9	Senior Assistant	20	20	-
10	Junior Assistant / Clerk	17	14	3
11	Private Secretary	1	-	1
12	Personal Assistant	2	-	2
13	Assistant Research Officer	17	13	4
14	Statistical Assistant	23	16	7
15	Computer	6	6	-
16	Computer Operators	3	2	1
17	Senior Scale Stenos	1	1	-
18	Junior Scale Stenos	6	6	-
19	Stenotypists	12	4	8
20	Driver	3	3	-
21	Peons	19	19	-
22	Chowkidar	1	1	-
23	DMO	1	1	-
24	Jamadar	1	_	1
25	Sweeper	1	1	-
	TOTAL	174	140	34

The Administrative Wing of this department does routine work of recruitment, promotion and confirmation of staff, initiation of disciplinary proceedings against the erring employees, transfers/postings, accounts, budget and store matters. During

the year under report, the Administrative Division of the department accomplished all its assignments within the time frame fixed for the purpose.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

The details of the work done during the year 2007-2008 are summarized as under:-

> Preparation of State's Draft Annual Plan Document for the Year 2008 -09.

- ◆ The guidelines for preparation of detailed Annual Plan document for the year 2008-2009 were issued to all concerned department/agencies requesting them to send detailed Annual Plan proposals.
- On scrutiny of departmental proposals and analysis of data collected from various institutions, a draft annual plan document for the year 2008-2009 was prepared and submitted to the Planning Commission, Govt. of India for the meeting between Hon'ble Deputy Chairman, Planning Commission and Hon'ble Chief Minister which was held on 13th February, 2008 at New Delhi.
- ♦ The Planning Commission, Government of India has approved a plan size of Rs. 2400.00 crore for the Annual Plan 2008-09. The Sector –wise break up is given as under:-

Sr.	Sector	Approved Outlay for Annual			
No.		Plan (2008-2009) (Rs. In Lakh)			
1.	2.	3.			
1.	Agriculture and Allied Activities	25197.34			
2.	Rural Development	11667.59			
3.	Special Area Programme	1119.00			
4.	Irrigation & Flood Control	29615.27			
5.	Energy	32824.00			
6.	Industry and Minerals	1943.28			
7.	Transport & Communication	37414.72			
8.	Science, Technology & Environment	2500.00			
9.	General Economic Services	8825.67			
10.	Social Services	81813.34			
11.	General Services	7079.79			
	Total :	240000.00			

On approval of the Annual Plan size for the year 2008-09, Head of Development wise outlays for the preparation of Annual Plan Budget were conveyed to all the departments. Thereafter, a detailed exercise to link plan outlays with the budgeted outlay was done and Demand / Major Head/ Sub Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head wise schematic details were conveyed to the Finance Department.

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

- 1. This division examines proposals for diversion and reappropriation thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/reappropriations are permitted.
- Additionalities are provided from those schemes/Heads, which have the
 possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in
 order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost
 importance.
- 3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities and dispose-off cases promptly.
- 4. During the period under report information on diversions and reappropriations was called for all departments in report of Earmarked & Non-earmarked Sectors. The proposals were scrutinised and examined so as to get revised outlays approved from Planning Commission, Govt. of India in time. Accordingly, the approval of Planning Commission, Govt. of India to the revised outlay of Rs. 2104.80 crore against the originally approved outlay of Rs. 2100.00 crore for the State's Annual Plan (2007-08) is being sought.
- 5. During the year under report, 312 references from different departments for obtaining advice on their departmental files were received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
- 6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget by developing a software for this purpose.
- 7. The revised proposal of outlays alongwith scheme of financing, plan expenditure of Annual Plan 2007-08 upto December, 2007 and audited expenditure for the Annual Plan 2006-07 were supplied to Finance Ministry and Planning Commission, Govt. of India to enable State Government in getting withheld Central Assistance released.

1. Review of Quarterly Progress Reports:

This division has been entrusted with the responsibility to monitor the financial and physical progress achieved under different heads of development under Plan.

Following quarter-wise norms have been fixed for incurring of plan expenditure under various head of developments:

Sr.No.	Quarters	Percentage of Expenditure
1	2	3
1.	First Quarter	25%
2.	Second Quarter	30%
3.	Third Quarter	25%
4.	Fourth Quarter	20%
5.	Total	100%

On the basis of above norms, the progress of the implementation of State's Annual Plan 2007-08 (first quarter) was reviewed by a team of Planning Commission headed by Dr. Syeda Hameed, Hon'ble Member Planning Commission Govt. of India on 26th September, 2007 with State Govt. Officers at Chandigarh.

2. Quarterly Budget Authorisation:-

A new system of Quarterly Budget Authorisation has been started from the year 1999-2000. Accordingly, quarterly budget authorisation for the year 2007-08 was given to all departments and quarterly progress reports on financial spending were collected from the departments for review.

3. <u>Centrally Sponsored Schemes:</u>

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress.

This Division has performed the following functions under CSS during the year 2007-08:-

- i) Advices regarding financial implications of CSS and their counterpart provision in plan were given to the implementing departments.
- ii) Liaison between Govt. of India and various H.P. Govt. departments was maintained.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP)

Since the Fourth-Five year plan, Himachal Pradesh Government has been experimenting appropriate and viable alternative strategies for speedy development of the backward areas in the State. After a careful analysis of the situation and on the basis of experience gained through other decentralization efforts, the State Government has evolved the concept of Backward Area Sub-Plan for identifying and mitigation of micro-regional disparities in the level of development. During the year 1995-96, H.P. Government, in consonance with the budget speech of Hon'ble Chief Minister, framed a comprehensive policy for backward areas which is under implementation since then. The salient features of this policy are as under:-

- (a) The Backward Area Sub-Plan comprises of three categories:-
 - (<u>i) Backward Blocks</u>: All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 274 Backward Panchayats.
 - (ii) Contiguous Pockets: Group of five or more declared backward panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 126 backward panchayats in the State.
 - (iii) Dispersed Panchayats: Other panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 112 Dispersed Panchayats in the State.
- (b) 15% outlays of the selected thirteen heads of development are earmarked for BASP.
- (c) Both, beneficiary oriented and infrastructure development approaches have been adopted.
- (d) The allocation to districts is made in proportion to the total number of backward declared panchayats of the district.
- (e) The Sub-Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions/ reappropriation with the approval of DPDC. Dy. Commissioners and District Planning Officers have been declared controlling and Drawing & Disbursing Officers respectively.

There are total 551 Panchayats declared as backward in the State. The single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub-Plan" has also been created by the State Government for separate budgetary arrangements under BASP. The BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities with in the districts. An outlay of Rs. 5109.80 lakh has been earmarked under BASP for the year 2007-08 and an amount of Rs.5129.25 lakh will also be available for the next financial year 2008-09 under BASP.

The District wise details of numbers of Backward declared panchayats and BASP-2007-08 outlays are as under:-

SI.	DISTRICTS	NO OF	BASP2007-08 outlays
No.		BACKWARD	
		DECLARED	
		PANCHAYATS	(Rs. In "000")
1	2	3	4
1	BILASPUR	15	13911
2	CHAMBA	159	147452
3	HAMIRPUR	13	12055
4	KANGRA	17	15765
5	KULLU	79	73262
6	MANDI	149	138178
7	SHIMLA	83	76972
8	SIRMOUR	26	24111
9	SOLAN	7	6492
10	UNA	3	2782
	TOTAL	551	5110980

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION:

For the implementation and monitoring of Decentralized Planning Programme, Regional and District Planning Division has been set up at the State level office of Planning Department. Description of the various activities of Decentralised Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure effective people's participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Govt. efforts/ resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced for implementation in the year 1991-92. Under this programme, people's participation is purely on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited into Bank / Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. The schemes with an estimated cost of Rs. 10.00 lakh and below are sanctioned by the DCs, schemes estimating Rs. 20.00 lakh are sanctioned by the Directorate of Planning, Rs. 40.00 lakh by the Secretary (Planning) and above Rs. 40.00 lakh are sanctioned by Finance Department. Only 1 scheme involving government share Rs. 14.18 lakh was sanctioned during the year 2007-08 (1.4.2007 to 29.2.2008) from the State Headquarters and beside this, an amount of Rs. 1578.90 was allocated to the DCs (Except Kinnaur& Lahaul-Spiti districts) for the works to be sanctioned at their level.

2. Sectoral Decentralised Planning (SDP):

Sectoral Decentralised Planning Programme has been started in the Pradesh during the year 1993-94. To maintain inter- regional developmental balance, distribution of funds is made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to area of the district as per 1981 Census. Under this programme schemes of local needs and important missing links of budget are mainly taken up for implementation. During the year 2007-2008, funds of the order of Rs. 3200.00 lakh were provided up to 29.2.2008 to the Deputy Commissioners (except Kinnaur and Lahaul & Sipiti) for issuing sanctions at their level.

3. Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY):

Towards strengthening of decentralisation process, the State Government has started a new scheme "Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana" from the year 1999-2000 but it was discontinued during the year 2001-2002. This scheme has been restarted during the year 2003-04 and funds of the order of Rs. 24 lakh were allocated to each MLA for the execution of developmental works in their constituencies. The implementation and monitoring of the scheme has been made more effective and intensive with the direct involvement of Hon'ble MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state irrespective of political affiliation and all elected MLAs are also getting equal treatment. During the current financial year 2007-2008, Rs. 1630.10 lakh were provided by this department to the Non-Tribal districts at the rate of Rs. 25.00 lakh per Vidhan Sabha Constituency for execution of developmental works.

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION:-

The following main tasks have been assigned to Manpower and Employment Division:-

1. Fact Book On Manpower

In this publication, data with statistical tables regarding population, Manpower, employment, unemployment, training institutions directly related to the training and employment is compiled. The collection and compilation of the data for the next "Fact Book On Manpower" for the year 2000-2001 to 2005-2006 is being accomplished. The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodical follow-up and revision.

This Fact Book has three parts . Part one contains detailed information about the characteristics of population and its projected annual growth and the composition of workforce in the State. Part two contains statistics relating to employment pattern in public and private sectors. It also gives an account of distribution and number of applicants on Live registers of employment exchanges and educational status of job-seekers, Part three gives information on education and training facilities in the State viz. number of institutions, teachers, enrolment, intake and outturn etc. in the State.

2. Reports On The Basis Of Data available Under EMI Programme

The quarterly review reports of employment generation in the Organized sector of the economy under "Employment Market Information Programme", was started during the year

1988. The quarterly report for the year 2005-06 and 2006-07 has been printed. The data for the year 2007-08 is being collected.

3. State Government Employment Plan

<u>Implementation, Monitoring and Review policy of the State Government for Employment Plan</u>

There is a State Employment Plan as by-product of the budget document. The Planning Department collects the information on employment generation from the concerned departments on a monthly basis. The State Government has adopted a three pronged strategy under employment Plan which has been divided into three sectors viz; Government sector Employment Plan, Organised and Self Employment sector Plan and Wage Employment sector Plan. A committee of Secretaries has been constituted under the Chairmanship of Chief Secretary, H.P government to review the progress of employment generation in terms of (financial and physical) on regular basis. Review meeting has become the regular feature with the Planning department. The departments have been requested to ensure the achievements against the targets.

VII. PROJECT FORMULATION DIVISION:

Project Formulation Division in the Planning Deptt. has been assigned the task of project formulation and project appraisal. The subject requires a multi-disciplinary and rational approach. The project formulation division analyses the project proposals of different departments and NGO's submitted for seeking funding from external agencies like World Bank, JBIC, JICA, GTZ & KFW. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAP's being implemented in the State and also keeps track of over all Additional Central Assistance being received in respect of EAPs being implemented in the State. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in the EAPs in the State required by the donors.

For this purpose, following steps were undertaken during the year 2007-08 by this division:-

- 1. Review and monitoring of financial and physical progress of EAPs in relation to the targets fixed for the year was done at regular intervals on quarterly basis.
- 2. Review & Monitoring of Additional Central Assistance due and received in respect of all external aided projects in relation to the expenditure claims filed and releases made by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India & was updated.
- 3. Advises were given to the different departments in the context of project proposals for integration of activities, avoiding overlapping in terms of activities and bringing in administrative expediency in terms of project execution.

The other important assignments undertaken during the period under report by this division are as under:-

The division had been in constant touch with the following external funding agencies for tieing-up the new projects:-

- i) Japan Bank for International Co-operation
- ii) GTZ & KFW
- iii) World Bank.
- iv) Japan International Co-operation Agency(JICA).
- v) DFID
- vi) Asian Development Bank

The Guidelines received from these institutions were circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in this division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial,Social & Economic parameters. After analysis, these project proposals were returned to the concerned deptt; with the observations of Planning Deptt. for alterations and modifications for posing these projects to the funding agencies through the Central line Ministries of the departments and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India.

The Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Plan Finance Division has taken decision to pass on external assistance to Special Category States in the grant / loan ratio of 90:10 instead of back to back basis recommended by the Twelfth Finance Commission from 1.4.2005.

VIII. NABARD-RIDF :-

Rural Infrastructure Development Fund under NABARD sponsored programmes for extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards has been implemented in the State from RIDF-I (1995-96). This programme was continued as RIDF-II, III,IV,V,VI, VII, VIII, IX, X,XI, XII and XIII in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance upto 50% of the balance cost of ongoing projects which was later on extended to 90% / 95% under RIDF-II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII and XIII.

The State Government can avail NABARD loans under RIDF for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Govt. has either got projects approved or has posed projects to the NABARD for funding are :--

- i) Construction of Roads and Bridges.
- ii) Construction of Irrigation schemes.
- iii) Construction of Flood Protection Works.
- iv) Construction of Primary School Buildings (under S.B.V.S.Y.).
- v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
- vi) Establishment of Citizen Information Centres.
- vii) E-Governance.
- viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
- ix) Watershed Development project.
- x) Strengthening of Animal Health Infrastructure

Upto 28th February, 2008 the NABARD has sanctioned a loan assistance of Rs 1712.06 crore in favour of Himachal Pradesh, the tranche-wise break-up is given as under:-

Table – 1

(Rs. in Crore)

			1	`	· III Crore)
RIDF Tranche	Duration	No of schemes sanctioned	NABARD loan sanctioned	State Contribution	Total
RIDF-I	1995-96 to 97-98	77	14.23	4.90	19.13
RIDF-II	1996-97 to 98-99	66	52.96	6.32	59.28
RIDF-III	1997-98 to 99-2000	28	51.12	5.12	56.24
RIDF-IV	1998-99 to 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
RIDF-V	1999-2000 to 01-02	680	110.36	6.80	117.16
RIDF-VI	2000-01 to 02-03	1053	127.20	10.15	137.35
RIDF-VII	2001-02 to 03-04	326	168.37	8.91	177.28
RIDF-VIII	2002-03 to 04-05	237	169.29	13.80	183.09
RIDF-IX	2003-04 to 05-06	182	141.70	19.35	161.05
RIDF-X	2004-05 to 06-07	146	91.64	9.96	101.60
RIDF-XI	2005-06 to 07-08	266	224.67	29.73	254.40
RIDF-XII	2006-07 to 08-09	384	273.87	36.48	310.35
RIDF-XIII	2007-08 to 10-11	269	198.84	29.11	227.95
	Total	3780	1712.06	184.11	1896.17

Note:- The above sanctions include the projects sanctioned by the NABARD upto 28th February, 2008.

Against the above sanctioned amount, the State Govt. has received/availed a loan of Rs 1175.43 crore upto 28^{th} February, 2008 from the NABARD. The tranche-wise details are as under

TABLE - 2 (Rs. in Crore)

Name of the	NABARD	Tranche-wise Loans availed			Percentage
Programme	Sanctioned amount		2007-08 (upto 28.02.08)	Total	of Loan availed
RIDF-I	14.23	14.23	0.00	14.23	100
RIDF-II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
RIDF-II	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
RIDF-IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
RIDF-V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
RIDF-VI	127.20	127.59	0.29	127.88	100.53*
RIDF-VII	168.37	172.36	2.43	174.79	103.81*
RIDF-VIII	169.29	144.09	6.63	150.72	89.03
RIDF-IX	141.70	87.55	13.59	101.14	71.38
RIDF-X	91.64	55.02	11.06	66.08	72.10
RIDF-XI	224.67	64.55	46.36	110.91	49.37
RIDF-XII	273.87	39.89	78.59	118.48	43.26
RIDF-XIII	198.84	0.00	21.70	21.70	1.91
Total	1712.06	994.78	180.65	1175.43	68.66

^{*} The disbursement figure exceeded from sanction due to the fact that advance earlier paid/released was not adjusted in future drawls.

The Planning Department has been made the nodal department for selection, approval and monitoring of the projects sanctioned under the programme.

IX. 20-POINT PROGRAMME:-

NEW 20- POINT PROGRAMME-2006

In the year 2007-08, Government of Himachal Pradesh has provided a wide range of facilities for the upliftment of weaker section of the society under the schemes being implemented under Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006). Under this programme, 18 items has been listed, on the basis of these, assessment of the achievement is done with the other States. In the year 2007-08 the position of this State is "Very Good" in comparison with other States of the Country in the implementation of TPP-2006 and most of the items has been placed "A" grade. Directions are issued to all Administrative Secretaries and Head of

Departments to bring the position of implementation of this programme to "VeryGood" position. Efforts are also being made to complete relative objectives for the importance of this programme under TPP-2006, The items on which our position remains "Very Good" are as:Total Swarozgaries Assisted-SGSY, SHGs provided income generating activities, Off take by States / UTs-TPDS,Off take by States /UTs- AAY, Habitations covered (NC and PC)-ARWSP, Routine Immunisation of Children, ICDS Blocks Operational (Cum.), Area Covered under Plantation (Public and Forest Lands), Road Constructed-PMGSY, Pump Sets energized, Electricity supplied. The State has been among the best performing States in the Country in the year 2006-07 and kept up the tradition of good performance.

The performance of implementation of Twenty Point Programme-1986 (pre-revised) remained best in the year 2006-07. In the similar All efforts are being made to achieve the targets fixed for Himachal Pradesh by the Government of India for the year 2007-08.

X. RAILWAY DIVISION :-

Himachal Pradesh Govt. is pursuing, mainly three proposals, for the construction of Broad Gauge railway lines at different levels. The work done during 2007-08 in this regard is given as under:-

1. Bhanupalli- Bilaspur- Beri Rail Line.

To take this proposal to finality, three meetings were arranged in the Prime Minister's Office at New Delhi. The Principal Secretary to Hon'ble Prime Minister chaired all these meetings. In the last meeting held on 8th August, 2007, which was represented by the Chief Secretary and Secretary (Finance and Planning) from the State side and also attended by Member Engineering, Railway Board, it was decided to include this project as a national project. The estimated cost of this project has been assessed as Rs. 1047.00 crore. The sharing has been decided in the ratio of 75:25 between the Railways and the State Government. The Himachal Pradesh Government would contribute 25% (Rs. 261.75 crore) of the project cost. This amount would include cost of land for the project. Ministry of Railways will arrange the balance funds. Cost over-run would be taken care of by the Railways. The Council of Ministers in Himachal Pradesh in its meeting held on 13th September, 2007 has approved the contribution of the state share. The decision of Himachal Pradesh Government regarding sharing of the project cost has been confirmed to the Railways. Hon'ble Prime Minister has been requested to issue directions to the Railways to make adequate budgetary provision in the Railway Budget and to start the work at the earliest so as to complete this railway line within the Eleventh Five Year Plan period.

2. Nangal- Talwara Rail Line.

There was a provision of Rs. 24.08 crore in the Railway Budget-2007-08 for this railway line. The land acquisition work in the Chururu Takrala- Amb Andora Section is in progress. The construction of this Railway line on the section Chururu Takrala- Amb Andora will start after the acquisition of land. The awards for all the villages have been announced. The next section Amb-Andora to Kartholi (Punjab) is approximately 30 Km. There are 12 villages in this section. The Railways have been requested to issue L-Section map for this section. The land acquisition work on this section will start immediately.

3. Chandigarh- Baddi Rail Line.

Pre-feasibility survey of this railway line stands completed. As per survey report, the construction cost of this 33 kms new BG railway line has been estimated as Rs.328.14 crore. The approval, in principle, for the construction of this railway line has been accorded in the Railway Budget for the year 2007-08. The State Government has requested Ministry of Railways, GoI for substantial budgetary provision in the Railway Budget.

4. Miscellaneous works relating to expansion of railway network in Himachal Pradesh.

XI. EVALUATION DIVISION :-

Evaluation division of Planning Department is doing the evaluation work of different plan schemes and projects. The objectives of the evaluation is to suggest remedial measures for the effective implementation of projects/ schemes. A Technical Advisory Committee has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies.

During the year 2004-05 four studies were undertaken. These are:

- 1. Sarswati Bal Vidya Sankalp Yojana
- 2. Gandhi Kutir Yojana
- 3. Old Age/Widow Pension Scheme
- 4. Vikas Main Jan Sahyog.

Study on Old age /Widow Pension scheme was awarded to Economics & Statistics Department of H.P. which has been completed and supplied to all concerned.

The following two studies were entrusted to UHF Nauni, Solan:

- i) Sarswati Bal Vidya Sankalp Yojana
- ii) Gandhi Kutir Yojana

These studies have been completed and supplied to all concerned.

The evaluation study on VMJS has been undertaken by Evaluation wing of Planning Department . The report has been finalized.

The studies on "Sectoral Decentralised Planning & Quick Evaluation of Fish Ponds" had been initiated by the Planning Department. The report of the evaluation study on Quick Evaluation of Fish Ponds has been prepared. The field work of the study on Sectoral Decentralised Planning is in progress.

Beside this, the survey work on the study of Watershed Development Programme and to find out the Activity Status of Job Seekers on the Live Register of Employment Exchanges of H.P. have also been initiated. The basic information of the said study is being collected from the Districts and there after the field work will be started.

XII. COMPUTERISATION DIVISION:

Computerisation Division has been constituted for feeding the computer needs of Planning Department. All the reports / publications undertaken by the Planning Department are processed on computer and lateron get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software of the department has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department:-

- 1. Software on GN Statements of Eleventh Five Year Plan (2007-12) and Annual Plan (2007-2008).
- 2. Compilation of various Subsidies schemes being executed by various departments in H.P.
- 3. Monitoring of Annual Plan (2007-08) & Annual Plan (2008-09) Package.
- 4. Package on Payroll of Department & Monthly Pay Roll schedules and ADA/IR.
- 5. Backward Area Sub-Plan, Distt./SOE-wise allocation of budget outlays package.
- 6. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
- 7. Income Tax Statements Software.
- 8. Computerisation of Follow-up Action of decisions taken in the meetings held with MLAs for formulation of State's Annual Plan (2007-2008).
- 9. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year (2007-2008).
- 10. Agenda Notes for Meetings of NORAD Projects and their proceedings.
- 11. Internet Surfing for funding of EAPs.
- 12. Fact Book on Manpower and Quick Estimates Publications.
- 13. Development of Department Web site and site maintenance/updation.

XIII. Annual updation of publication in terms of Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

Particulars of organization, functions and duties.	Please see Sr. No.1 "Background and introduction"
Powers and duties of its Officers and Employees.	Adviser (Planning) Overall administrative and financial control of the Department. Joint Director(Planning): He assists the Adviser Planning in the implementation and monitoring of all the Plan schemes i.e Externally Aided Projects, Backward Area Sub Plan, RIDF etc. Deputy Directors: All the Deputy Directors control various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation ,Project Formulation, NORAD, Evaluation & Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning and Backward Area Sub-Plan and assist the Adviser Planning in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.
	Research Officers: All the Research Officers_assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers. Assistant Research Officers: Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level. Statistical Assistants Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level. Computer: Posted in different divisions perform their duties and functions as assigned to them by the Research
	Officers. Program Planning Officer (PPO): The PPO is the incharge of the Computer Cell. This cell has been constituted for feeding the computer needs of Planning Department. Computer operators: Assist the PPO for feeding data of various divisions in the computers. Superintendent Gr-II Superintendent grade-II is working in the Department, supervises the work of Administration Division. All the dealing Assistants of Administration Division submit the files through Superintendent Grade-II to DDO/Deputy Director (Administration) for final Decision at the level of Head of Office and Head of Department. Senior Assistants/Junior Assistants: Deal with and
	functions and duties. Powers and duties of its

(iii)	Procedure followed in the	Superintendent grade-II for final decision at the level of higher authorities. Clerks: Posted in the Administration Division perform duties and function as assigned to them by the Supdt. Gr-II including the Diary dispatch work of the Department. Personal Assistant/Sr.Scale Steno graphers /Jr.Scale Steno grapher: Perform duties with Head of Department, Additional Director, Joint Directors/Deputy Directors ,such as Dictation/ Typing work/attend to the telephone calls. Handle the files/records of confidential or secret nature. Steno Typists Perform duties of typing work with District Planning Officers in Districts and at head quarters in various divisions. Duplicating Machine Operator To operate the Gestetner/Photostat machines of the Deptt. Peons They perform the duties to carry and deliver Dak ,cleaning of tables etc. Chowkidar: Keep watch and ward after office hours of all the office rooms of the Deptt. Sweeper. To sweep, mop the rooms, corridors, urinals & wash basins.	
(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability	powers of Head of Department. The various officers of the Department assist him in taking decisions/disposing	
(iv)`	Norms set by it for the discharge of its function	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules/ policies and as per delegation of powers made by the Govt. from time to time.	
(v)	Rules, Regulations, instruction manuals and records held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:- 1. CCS Leave rules, 1972 2. CCS and CCA Rules 3. HPFR Rules 4. H.P.FR&SR rules 5. Medical attendance Rules 6. House Building Advance rules 7. L.T.C. Rules 8. Budget manual 9. Office manual 10. Pension rules 11. GPF Rules. 12. Guidelines for implementation of the following:- 13. Sectoral Decentralized Planning 14. Vikas Mein Jan Sahyog Program 15. Kshetra Vikas Nidhi Yojna	

	1	46 36 11 36 12 22 22 22 2	
		16. Mukhya Mantri Gram Path Yojna	
		17. Members of Parliament Local Area	
		18. Back Area Sub Plan.	
		19. Border Area Development Programme	
()		20. Rural Infrastructure Development Fund.	
(vi)	Statement of the Categories	Five year plans/Annual Plans, Evaluation studies on different	
	of the documents that are	Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid term Review of Five Year Plans. MLA	
	held by it or under its	Priorities schemes. Annual Administration Report.	
(**)	control.	_	
(vii)	the particulars any	H.P.State Planning Board has been constituted in the	
	arrangement that exists for	Department and public representatives for this Board are	
	consultation with, or	nominated by the Govt. Annual Plan/Five Year Plan size	
	representation by, the	is approved and the progress made in implementation of	
	members of the public in	various plans is reviewed by the H.P.State Planning	
	relation to the formulation of its policy or	Board meeting.	
	of its policy or implementation thereof.		
(viii)	a statement of the boards,	The following Reards/committees have been constituted	
(VIII)	councils, committees and	The following Boards/committees have been constituted in the department:-	
	other bodies consisting of two	1. Himachal Pradesh State Planning Board	
	or more persons constituted	2. State Level Planning, Development & Twenty Point	
	as its part or for the purpose	Program Review Committee District Level Planning	
	of its advice, and as to	Development & Twenty Point Program Review	
	whether meetings of those	Committees in all Districts.	
	boards, councils, committees	3. Meetings of these committees/Boards are not open	
	and other bodies are open to	for attending by public. However, public can have	
	the public, or the minutes of such meetings are accessible		
	for public.		
(ix)	a directory of its officers	4. Adviser (Planning)	
	and employees;	5. Joint Director(Planning)	
		6. Deputy Directors	
		4 Research Officers	
		7. Assistant Research Officers	
		5 Statistical Assistants	
		6 Computers	
		7 Program Planning Officer	
		8 Computer operators	
		9 Superintendent	
		10 Sr.Assistants	
		11 Junior Assistants	
		12 Clerks	
		13 Personal Assistant	
		14 Private Secretary	
		15 Senior Scale Stenographer	
		16 Steno Typists	
		17 Duplicating Machine Operator	
		18 Peons	
		19 Chowkidar	
		20 Sweeper.	

(x)	the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of	Department get the normal scales as granted by the Government from time to time. Pay scales of all the posts		
	compensation as provided			Pay scale
	in its regulations;	1. Advise	er(Planning)	14300-20100
		2. Joint I	Director	12000-15500
		3. Deputy	y Director	10025-15100
		4. Resear	rch Officer	7880-11660
		5. Asstt.	Research Officer	6400-10640
		6. Statist	ical Assistant	5800-9200
		7. Section	n Officer(SAS)	7220-11660
		8. Private	e Secretary	7220-11660
		9. P.A.		6400-10640
		10. Comp	uter	3120-5160
		11. Supdt.		6400-10640
		12. Sr.Ass	istants	5800-9200
		13. Junior	Assistant	4400-7000
		14. Clerks	k .	3120-5160
		15. P.P.O.		6400-10640
		16. Comp	uter Operator	5000-8100
		17. P.A		6400-10640
		18. Sr.Sca	le Stenographer	5800-8100
		19. Jr.Scal	le Stenogrpher	4400-7000
		20. Steno	Typist	3330-6200
		21. Duplic	cating Machine Operator	2820-4260
		22. Peons		2520-4140
		23. Chawl	kidar One Post.	2520-4140
		24. Sweep	er One post.	2520-4140
(xi)	the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	 implementation of following schemes:- Vikas Mein Jan Sehyog (VMJS) Sectoral Decentralized Planning (SDP) Vidhayak Kasheter Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY) Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY) The Planning Department allocate funds for these 		
		development schemes according to the guidelines as well as formula based and as far instructions framed by the H.P. State Government from time to time.		

(xii)	the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	There are no subsidy programmes being executed directly by the department.
(xiii)	particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,	Not applicable
(xiv)	details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website http://hpplanning.nic.in
(xv)	the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	The Public can have information from the field offices of this Department or the Headquarters Planning Department Yojna Bhawan H.P. Sectt Shimla-2 from 10.00 to 5.00 P.M in 6 days in a week except on holidays.
(xvi)	the names, designations and other particulars of the Public information Officers;	Information on Performa as below.
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.	Nil

Particulars of the Public Information Officers of Planning Department H.P., Shimla.

AT SECRETARIAT LEVEL

Sl.	Designation	Complete Office	Office	Jurisdiction/Unit under
No		Address	Tel. No.	his control for which he
				will render information
				to applicants
(a)	Assistant Public	Armsdale Building	2880461	Planning Department at
	Information Officer	H.P. Sectt. Shimla-2		Secretariat level.
	Section Officer(Planning)			
(b)	Public Information	Armsdale Building	2628486	Planning Department at
	Officer (Under Dy./Joint	H.P. Sectt. Shimla-2		Secretariat level.
	Secretary(Plg.) to the			
	Govt. H.P.			
(d)	Nodal Officer (Addl./Spl.	Armsdale Building	2624183	Planning Department at
	Secretary(Plg.) .) to the	H.P. Sectt. Shimla-2		Secretariat level.
	Govt. H.P.			
(c)	Appellate Authority	Armsdale Building	2621586	Planning Department at
	Principal/Secretary (Plg.)	H.P. Sectt. Shimla-2		Secretariat level.
	to the Govt. H.P.			

Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 31-5-2008 under section 5(1) and 19 of "Right to Information, Act 2005" (Act No. 22 of 2005).

STATE LEVEL

(a)	Joint Director (Administration)	Public Information Officer.
(b)	Deputy Director (Planning)	Assistant Public Information Officer
(c)	Head of Department	Appellate Authority

DISTRICT LEVEL

Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of "Right to Information, Act 2005".

The Chief Minister is the Minister in charge and the Secretary (Planning) is Administration Secretary & the Adviser(Planning) is the Head of the Organisation set up at Govt. level.
